Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांकः 6(231)एसपी/2010/खण्ड प्रथम/ दिनांकः 12.01.2022

निमित्त,

मै0 इकराम अली,
नागोरियान ढाणी, अविकानगर चान्दसेन,
तहसिल मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान – 304501

विषय : संस्थान के पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत संस्थान जानवरों के लिए दाना बनाने एवं सभी सेक्टरों पर आपुर्ति करने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 2392830 दिनांक 25.09.2021 के क्रम में सारणी में दर्शायी गयी दरें एवं दिनांक 24.12.2021 नेगोशियसन हेतु दी गयी दरें सभी करों एवं खर्चो सहित निदेशक महोदय ने स्वीकार कर ली है, अतः आपको पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के पशु आहार के संघटकों (दाना व चारा) को उचित अनुपात में सहीं तरीके से पिसकर व मिलाकर दाना तैयार करना, 50 किलो और 100 किलों वजन के दाने की पेकिंग करना तथा गोदाम में उचित स्थान पर भंडारण करना, पशु पोषण विभाग के खाद्य तकनिकी ईकाई के गोदाम से तैयार दाने को ट्रेक्टर में डालकर संस्थान के विभिन्न पशु सेक्टरों पर निश्चित स्थान पर डालना एवं चारे व दाने को मिलाकर मशीन से आहार बट्टीका बनाना, भण्डारण करना एवं विभिन्न पशु सेक्टरों पर पहुंचाने आदि से सम्बन्धि निम्नलिखित कार्य हेतु नियम व शर्तो के आधार पर वार्षिक अनुबन्ध आदेश जारी किया जता है–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित मात्रा	दर प्रति ईकाई	कुल खर्च
1.	मिश्रित आहार दाना	4400 क्विंटल	**₹78.00 प्रति क्विंटल**	3,43,200.00
2.	गोलीनुमा आहार	500 क्विंटल	₹120.00 प्रति क्विंटल	60,000.00
3.	सम्पूर्ण आहार बट्टिका	200 क्विंटल	₹90.00 प्रति क्विंटल	18,000.00
4.	साईलेज बनाना	100 किवटंल	**₹370.00 प्रति क्विंटल**	37,000.00
			कुल खर्च सभी करो एवं खर्चो सहित	रू.4,58,200.00

नियम व शर्ते :–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर एक वर्ष आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रद्द किया जा सकता हैं।
2. अनुबन्धकर्ता को स्वयं इस काम में शामिल रहना होगा। गोदाम की चाबी सुबह अनुबन्धकर्ता को ही दी जावेगी एवं शाम को आहार निरीक्षण के बाद उसी से चाबी ली जावेगी। कोई दूसरा आदमी स्वीकार्य नही होगा।
3. दाना नियमित/किसी भी दिन व किसी भी समय सेक्टर प्रभारी द्वारा मंगवाया जा सकता हैं, जिसके लिये ठेकेदार को उसी समय प्रतिनिधि/श्रमिक गोदाम में तैयार रखना होगा। खाली दाने की बोरियों को एकत्रित करके व उनका बन्डल बनाकर सुव्यवस्थितरूप से गोदाम में तैयार रखना होगा। परिसर में आस–पास व गोदाम की सफाई का कार्य प्रभारी, एफ.टी.यू. के दिशा–निर्देशानुसार समय–2 पर करना होगा। माल को बनाने के बाद उसका भण्डारण भी ठीक तरीके से करना होगा। तथा दाना पहुंचाने के लिये संस्थान द्वारा वाहन उपलब्ध करवाया जावेगा। एफ.टी.यू. परिसर एवं उसके आस–पास के गोदामों में रखी दाना सामग्री को चढ़ाने व उतारने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
4. दाना बनाने, पेकिंग करने, भण्डार करने तथा गोदाम से उठाते व सेक्टर पर उतारते समय/मिश्रण कार्य के समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगीएवं इसके लिये संस्थान का कोई उतरदायित्व नही होगा।
5. उक्त कार्यो के लिये नियमित–रूप से प्रभारी, खाद्य तकनीकी या उनके प्रतिनिधि से सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार कार्य करना होगा, यदि किसी प्रकार की लापरवाही या समय पर मजदूर उपलब्ध नही करवाने पर संस्थान को होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार के देय बिल से की जावेगी। या ठेकेदार द्वारा करवाई गई जमा जमानत राशि को जब्त करते हुये अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय मे पहुचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

7. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
9. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
10. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
11. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (GST/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
12. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
13. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
14. ठेकेदार को श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु पोषण विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
16. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
17. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा।
18. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
19. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual for Procurement of Goods and Services)में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
20. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Digitally Signed by Sanjay Sharma
Date: 12-01-2022 14:31:55
Reason: Approved

(संजय शर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. विभागाध्यक्ष, पशु पोषण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ने श्रम मंत्रालय के नियमानुसार नियमों की पालना करवाये जाने के लिये उक्त कार्य हेतु उन्हें नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य पर लगाये जाने वाले मेनपावर का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया है की सुनिष्चित्ता करते हुये सक्षम अधिकारी महोदय को प्रतिमाह रिकार्ड हेतु भिजवावें। अनुबन्धकर्ता द्वारा किये जा रहे रजिस्टर के संधारण को अपने स्तर पर हर माह प्रमाणित करें साथ ही अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों की संख्या तथा कार्य सम्पूर्ण होने की दिनांक व कितने मानव दिवस कार्य किये गये आदि का ब्योरा क्रय अनुभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. केश एण्ड बिल सेक्सन 3. वित्त एवं लेखा अधिकारी, 4. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग 5. सर्तकता अधिकारी
7. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु। 8. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त कार्य की प्रशासनिक अनुमति देने के साथ–2 इस अनुबन्ध कार्य पर वित्त वर्ष 2021–22 में होने वाले कुल खर्च रूपये 1,14,550/– की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 06.01.2022 को पत्रावली नोटसीट पेज नं.97 पर संस्थान मद से वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।